झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन का दिनांक–16.10.2025 को खूँटी जिला में औचक निरीक्षण तथा समीक्षात्मक बैठक से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दिनांक–16.10.2025 को खूँटी जिला का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा इन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा– आंगनबाड़ी केन्द्रों, पी0एम0 पोषण, जनवितरण प्रणाली, कुपोषण उपचार केन्द्र आदि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही उक्त जिले के सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई।

❖ **स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–16.10.2025**

➢ ***आंगनबाड़ी केन्द्र :–***

- आयोग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र कालामाटी, खूंटी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्र में कुल 15 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से 9 बच्चे ही उपस्थित पाए गए। उपस्थित बच्चों से भोजन के सम्बन्ध में पूछने पर उनके द्वारा प्रतिदिन अंडा एवं हलुआ मिलने की बात कही गई, केंद्र में मेन्यू के अनुसार भोजन मिलता है। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र, कदमा, जिला खूंटी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्र में कुल 16 बच्चे उपस्थित पाए गए। केंद्र में बच्चों द्वारा कभी–कभी अंडा मिलने की बात कही गई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा बच्चों को प्रतिदिन अंडा देने का निर्देश दिया गया। आयोग द्वारा उपस्थित बच्चों की माताओं को आयोग का व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराते हुए किसी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया गया। केंद्र में भोजन से संबंधित मेन्यू अंकित पाया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***पी0एम0 पोषण :–***

- आयोग द्वारा राजकीयकृत मध्य–सह–उत्क्रमित विद्यालय, कालामाटी, खूंटी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। विद्यालय में पी0 एम0 पोषण से संबंधित मेन्यू अंकित पाया गया। बच्चों द्वारा मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन मिलने एवं किसी प्रकार की समस्या नहीं होने की बात कही गई। किचेन की जाँच करने पर यह बात सामने आई कि भोजन लकड़ी पर बनाया जा रहा है। पूछने पर बताया गया कि कुकिंग गैस खत्म हो जाने के कारण भोजन लकड़ी में बनाया जा रहा है। इस पर आयोग द्वारा विद्यालय प्रभारी को कुकिंग गैस की व्यवस्था कर उस पर भोजन बनाने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- आयोग द्वारा राजकीयकृत मध्य विद्यालय, फुदी, खूंटी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में भोजन से संबंधित मेन्यू अंकित पाया गया। बच्चों द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने एवं किसी प्रकार की समस्या नहीं होने की बात कही गई। भोजन लकड़ी पर बनाया जा रहा था। इस सम्बन्ध में पूछने पर रसोइया द्वारा बताया गया कि कुकिंग गैस का पाइप फट जाने के कारण लकड़ी पर भोजन बनाया जा रहा है। इस पर आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा विद्यालय की शिक्षिका को उक्त समस्या का समाधान कर कुकिंग गैस पर ही भोजन बनवाने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग द्वारा राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय, बगड़ू, जिला खूंटी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। भोजन से संबंधित मेन्यू अंकित पाया गया। निरीक्षण के क्रम में बच्चों के लिए भोजन कुकिंग गैस के स्थान पर लकड़ी पर बनाते हुए पाया गया। जानकारी मिली कि कक्षा 2 एवं 3 के बच्चे भोजन के लिए बर्तन अपने अपने घर से लेकर आते हैं। इस पर आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। बच्चों से भोजन के सम्बन्ध में पूछने पर मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग द्वारा राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, डुमरदगा, जिला खूंटी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। विद्यालय में भोजन से संबंधित मेन्यू अंकित पाया गया। भोजन कुकिंग गैस पर बनाया जा रहा था। बच्चों द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने एवं किसी प्रकार की समस्या नहीं होने की बात बताई गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***<u>जनवितरण प्रणाली केन्द्र :–</u>***

- आयोग द्वारा ग्राम कालामाटी, पंचायत फुदी, जिला खूंटी के पी0डी0एस0 डीलर, श्री धुचू लकड़ा, (अनुज्ञप्ति सं0–KH2/85) के राशन दुकान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। लाभुकों द्वारा बताया गया कि डीलर द्वारा ई–पॉस मशीन से निकलने वाला पर्ची उन्हें दे कर वापस ले लिया जाता है। डीलर द्वारा बताया गया कि सर्वर नहीं होने के कारण राशन वितरण समय पर नहीं हो पा रहा है। राशन दुकान के बाहर उपस्थित लाभुकों को आयोग का व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराते हुए किसी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग द्वारा पी0डी0एस0 डीलर, श्री रफीक अंसारी, पंचायत फुदी, जिला खूंटी (अनुज्ञप्ति सं0–KH/8/2001) के राशन दुकान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सूचना पट्ट अंकित पाया गया। डीलर द्वारा लगभग सभी लाभुकों के बीच राशन का वितरण कर दिये जाने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- आयोग द्वारा पी0डी0एस0 डीलर, श्री सोएब अंसारी, पंचायत फुदी, जिला खूंटी (अनुज्ञप्ति सं0–JH-33323-365-2023-11) के राशन दुकान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। दुकान के बाहर सूचना पट्ट अंकित पाया गया। आयोग द्वारा डीलर को निर्देश दिया गया कि मृत लोगों का नाम राशन कार्ड से हटवाने में सहयोग करें, ताकि अन्य योग्य लाभुकों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा सके। डीलर द्वारा क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या बताई गई।

  (फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग द्वारा पी0डी0एस0 डीलर, श्री राजेंद्र महतो, पंचायत फुदी, जिला खूंटी (अनुज्ञप्ति सं0–KH19/17) के राशन दुकान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सूचना पट्ट अंकित पाया गया। उपस्थित लाभुकों द्वारा पूरा राशन मिलने एवं कोई समस्या नहीं होने की बात कही गई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा राशन डीलर को मृत लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाने में सहयोग करने का निर्देश दिया गया। डीलर द्वारा क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या बताई गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***कुपोषण उपचार केन्द्र :–***

- आयोग द्वारा सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में केंद्र साफ–सुथरा पाया गया। केंद्र में 10 बच्चों के लिए बेड की व्यवस्था है, किन्तु 11 बच्चे भर्ती पाए गए। एक अतिरिक्त बच्चे को अलग से बेड लगाकर एडजस्ट किया गया था। केंद्र में भर्ती बच्चों की माताओं द्वारा सही ईलाज होने, प्रतिदिन भोजन मिलने एवं प्रतिदिन 130 रुपए की राशि मिलने की बात बताई गई। बच्चों की माताओं द्वारा कोई समस्या नहीं होने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

❖ ***समीक्षात्मक बैठक :–***

- दिनांक–16.10.2025 को अपराहन 02:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक परिसदन भवन, खूँटी में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे खूँटी जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी उपस्थित रहे। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए इन शिकायतों पर 07 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में सर्वर की समस्या अधिक है, जिस कारण राशन वितरण में काफी कठिनाई होती है। जिले में अधिकतर लोग मजदूर हैं, वे सुदूर क्षेत्र से राशन लेने आते हैं। नेटवर्क की समस्या के कारण वे लोग समय पर राशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस पर सुधार करने की आवश्यकता है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में मैन पावर की कमी है, जिस कारण ससमय कार्य निष्पादित करने में काफी कठिनाई होती है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड में E-KYC होने के बाद भी पोर्टल में प्रदर्शित नहीं हो रहा है कि सम्बन्धित लाभुक का E-KYC अपडेट हुआ है अथवा नहीं।

❖ **आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा खूँटी जिला में बैठक के दौरान दिये गये प्रमुख निर्देशः–**

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा खूँटी जिले के सम्बन्धित अधिकारियों से अपने जिले के सभी प्रखण्डों में झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के जिला स्तर पर आवंटन की स्थिति, पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय के विवरण से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि राज्य के प्रत्येक पंचायत को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि आवंटित की जाती है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष के अन्तर्गत वैसे व्यक्ति जो गरीब एवं असहाय हैं, स्वयं खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिनके सामने भोजन का संकट हो अथवा राशन कार्ड की अहर्ता रखते हुए भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है एवं राशन नहीं मिलने के कारण उनके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना न हो जाए, इस हेतु झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है। उक्त कोष के तहत् लाभुक को बाजार दर पर 10 कि0ग्रा0 खाद्यान्न खरीद कर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड स्तर पर राशि के आवंटन की कमी होने अथवा राशि समाप्त होने पर इसकी सूचना जिले के अधिकारियों को दी जाए। यह राशि कभी खत्म नहीं होने वाली राशि है। प्रत्येक पंचायत में 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को अपने स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया एवं झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित प्रखण्डवार विवरणी की मांग की गई।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी नहीं रहती है। ऐसे में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रखण्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर उन्हें जागरूक करें एवं योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएँ। पंचायत स्तर पर निगरानी समिति के अध्यक्ष मुखिया होते हैं। उनके साथ बैठक कर उन्हें सम्बन्धित योजनाओं से अवगत कराएँ एवं उनसे सुझाव भी मांगे।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान जानकारी मिली कि जिले में निगरानी समिति तो गठित है, किन्तु क्रियाशील नहीं है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, पी0एम0 पोषण, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उक्त योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा गया कि नया राशन कार्ड बनाने अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ने सम्बन्धी शिकायतें जो आयोग के माध्यम से उन्हें भेजे जाते हैं, इन मामलों में यदि रिक्ति नहीं होने के कारण लाभुक का राशन कार्ड नहीं बन पाता है अथवा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाता है, तो इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन भी आयोग को भेजें, ताकि शिकायतकर्ता को इससे अवगत कराते हुए मामले को निष्पादित किया जा सके।
- प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि कई बार शिकायतकर्ता द्वारा राशन डीलर के विरूद्ध शिकायत करने पर उनका राशन कार्ड कहीं और ट्रांसफर करा दिया जाता है अथवा

कार्ड डिलिट करा दिया जाता है। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा डीलर को मनमानी करने से रोकने का निर्देश सम्बन्धित पदाधिकारियों को दिया गया।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि प्रायः यह पाया जाता है कि राशन डीलर द्वारा लाभुकों को ई–पॉस मशीन से निकलने वाला पर्ची नहीं दिया जाता है, ऐसे में लाभुकों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि उन्हें कितना राशन मिलना है। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाभुकों को पर्ची मिल सके।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनवितरण प्रणाली केन्द्रों, विद्यालयों में दिये जाने वाले पी0एम0 पोषण एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में योजना से सम्बन्धित सूचना पट्ट अंकित करवाना सुनिश्चित करें, ताकि लाभुकों को उनके अधिकारों की जानकारी हो सके। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने एवं लाभुकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को समय–समय पर जिले के विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करने एवं बच्चों के लिये बने भोजन को चख कर उसकी गुणवत्ता की जाँच करने का निर्देश दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लोगों को अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करने हेतु प्रेरित करें, ताकि शिकायतों का निपटारा जिला स्तर पर ही हो सके।

इसके साथ खूँटी जिला भ्रमण समाप्त हुआ।

24.10.25

(शबनम परवीन)
सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

जिला–खूँटी

1. आंगनबाड़ी केंद्र कालामाटी, खूंटी का स्थलीय निरीक्षण।

2. आंगनबाड़ी केंद्र, कदमा, जिला खूंटी का स्थलीय निरीक्षण।

3. राजकीयकृत मध्य–सह–उत्क्रमित विद्यालय, कालामाटी, खूंटी का स्थलीय निरीक्षण।

4. राजकीयकृत मध्य विद्यालय, फुदी, खूंटी का स्थलीय निरीक्षण।

5. राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय, बगड्डू, जिला खूंटी का स्थलीय निरीक्षण।

6. राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, डुमरदगा, जिला खूंटी का स्थलीय निरीक्षण।

7. ग्राम कालामाटी, पंचायत फुदी, जिला खूंटी के पी0डी0एस0 डीलर, श्री धुचू लकड़ा, (अनुज्ञप्ति सं0–KH2/85) के राशन दुकान का स्थलीय निरीक्षण।

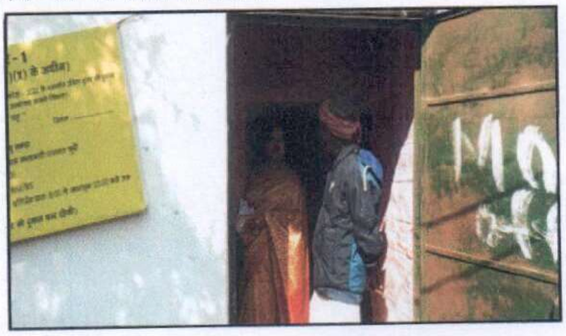

8. पी0डी0एस0 डीलर, श्री रफीक अंसारी, पंचायत फुदी, जिला खूंटी (अनुज्ञप्ति सं0–KH/8/2001) के राशन दुकान का स्थलीय निरीक्षण।

9. पी0डी0एस0 डीलर, श्री सोएब अंसारी, पंचायत फुदी, जिला खूंटी (अनुज्ञप्ति सं0–JH-33323-365-2023-11) के राशन दुकान का स्थलीय निरीक्षण।

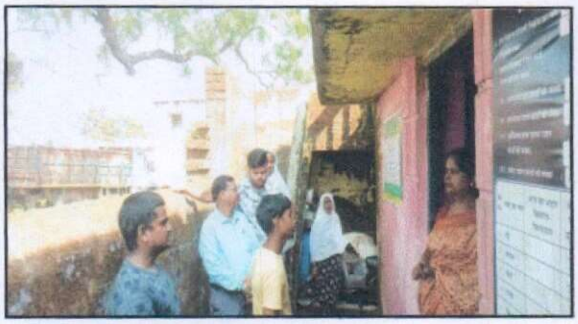

10. पी0डी0एस0 डीलर, श्री राजेंद्र महतो, पंचायत फुदी, जिला खूंटी (अनुज्ञप्ति सं0–KH19/17) के राशन दुकान का स्थलीय निरीक्षण।

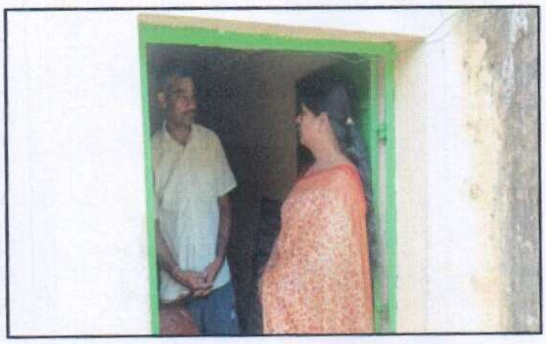

11. सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केंद्र का स्थलीय निरीक्षण।

12. परिसदन भवन, खूँटी में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।